

**TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION(11)**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

New Delhi 30-1-2000

**NOTIFICATION
(INCOME TAX)**

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income Tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following equity shares as long term specified securities for the purposes of the said section, namely:-

equity shares to be issued within a period of one year from the date of publication of the notification in the Official Gazette, of an amount not exceeding rupees 90 (ninety) crores by M/ s Koshika Holdings Ltd, a Public Ltd Company having its registered office at Usha House, B-II/100, M.C.I.E Sher Shah Suri Marg, Badarpur, New Delhi-110044

Provided that the investment in the aforesaid equity shares specified in this notification is made by an assessee out of net consideration arising from transfer of long term capital asset in accordance with the provisions of the said section.

Provided further that in case the assessee transfers or converts (otherwise than by transfer) into money the aforesaid equity shares specified in this notification, allotted to him in any manner within a period of three years from the date of their allotment, the initial investment made by such assessee in such equity shares shall be chargeable to tax under the head "Capital Gains" in accordance with the provisions of the said section.

Notification No. 11310



(MONA M. VERMA)

Under Secretary to the Government of India

(F.No.178/26/98-ITA-I)

To

The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area
(Near Rajouri Garden),
New Delhi.

भारत के असाधारण राज्य के भाग 11, खंड 3, उपखंड 111 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
घित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2000

अधिसूचना
आयकर

का०वा० ॥३॥- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ड के अन्तर्गत उपधारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित इच्छिटी शेयरों को दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट प्रतिफलित्वों के रूप में उक्त खंड के प्रयोजनाई विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-

सरकारी राज्य में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पैगर्स कोशिका होल्डिंग्स लि०, जो एक सार्वजनिक लि० कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय उषा हाउस, वी-11/100, एम सी गार्ड रोड, गेज रोड, नई दिल्ली-110044 में है, द्वारा 90 नब्बे करोड़ से अधिक राशि के इच्छिटी शेयर जारी किए जाते हैं।

आते कि कर निर्धारित द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट इच्छिटी शेयरों में निवेश उक्त धारा के अधिनियम के अनुसार दीर्घकालीन पंजीकृत परिसम्पत्ति के अन्तर्गत से उद्भूत होने वाले निवल प्रतिफल में से किया जाता है।

आते यह भी कि यदि कर निर्धारित इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसकी आवंटित उपर्युक्त इच्छिटी शेयरों को उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी तरीके से मुद्रा में अन्तरित अथवा परिवर्तित अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्यथा करता है तो कर निर्धारित द्वारा ऐसे इच्छिटी शेयरों में किया गया आरम्भिक निवेश उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार "पूँजी अभिसार" शीर्ष के अन्तर्गत कर प्रभावी होगा।

मोना एम वर्मा

वर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० 113/0
सेवा में,

का०सं० 178/26/98-आयकर नि०-1॥

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली।